लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 06 / 2023
GCMS NO. : 2023 / 52

प्रार्थी / अपीलार्थी :–		अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री शरद पंड्या, कार्यालय अन्दर की खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया रोड, बांसवाडा	बनाम	उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 03–08–2023

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 21–06–2023 (पोस्टल ऑर्डर नं. 60 एफ 515491) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:53:49 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 14–07–2023 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपरिथत होने सूचित किया गया।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने उनके पत्रांक न्याय/आरटीआई/2022 /1301 दिनांक 25–07–2023 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि वांछित सूचना सृजनात्मक अभिलेख में नही होने से दिया जाना संभव नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जिस बाबत् अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 1126 दिनांक 27.06.2023 से नियमानुसार समयावधि के भीतर सूचित किया गया है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

आज दिनांक 03–08–2023 को अपीलार्थी बावजुद सूचना अनुपस्थित है।

हमने पत्रावली का एवं **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** द्वारा जवाब जरिये पत्रांक 1301 दिनांक 25.07.2023 से वांछित सूचना कार्यालय के सृजनात्मक अभिलेख में नही होने के कारण सूचना उपलब्ध कराने में असमर्थता बाबत् अवगत कराया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार भी "सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना अधिकारी के पास पहले से मौजुद है।" चूंकि **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** ने वांछित सूचना के सन्दर्भ में प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक से उनके पत्रांक 1126 दिनांक 27.06.2023 से सूचित किया है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही रहने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:53:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 03–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा) I.A.S.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)